क्रमांक- 72

मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग-दो

रविवार, दिनांक 16 जुलाई, 2017 (आषाढ़ 25, 1939)

निर्वाचन क्षेत्र क्र.135-हरदा से निर्वाचित सदस्य, डॉ.रामकिशोर दोगने को बंदी एवं रिहा किये जाने की सूचना.

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला-मंदसौर (मध्यप्रदेश) की ओर से माननीय अध्यक्ष महोदय को संबोधित पत्र दिनांक 06.07.2017, जो इस सचिवालय में दिनांक 11.07.2017 को प्राप्त हुआ है, इस प्रकार है :-

'' मुझे आपको यह सूचना देनी है कि धारा 151/107, 116 (3) जा.फौ. के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में मैंने यह निदेश देना अपना कर्तव्य समझा है कि मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य, डॉ.रामकिशोर दोगने को (यथास्थिति, बंदीकरण या निरोध के कारण) निरुद्ध कर लिया जाये.

तद्नुसार मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य, डॉ.रामकिशोर दोगने को दिनांक 06.07.2017 को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, मल्हारगढ़ के द्वारा अपराह्न 4.50 बजे निरुद्ध कर उन्हें उसी दिन 4.55 बजे निर्मुक्त कर दिया गया है. ''

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.